

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 305]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 3 अक्टूबर 2023—आश्विन 11, शक 1945

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2023

क्र. एफ-3-11-2020-एक-10.—मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 13-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, लोकायुक्त की अनुशंसा पर, एतद्द्वारा, श्री शरद कुमार क्षोत्रिय, सेवानिवृत्त, संयुक्त कलेक्टर को दिनांक 1 अक्टूबर 2023 से 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने के दिनांक 12 अक्टूबर 2024 तक के लिये सदस्य, संभागीय सतर्कता समिति, इंदौर के पद पर नियुक्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने, उपसचिव.